सप्तदश माला, खंड 13, अंक 17

बुधवार, 11 अगस्त, 2021
20 श्रावण, 1943 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिंदी संस्करण)

छठा सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2021/1943 (शक)
अंक 17, बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20, श्रावण 1943 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	5-6
विदाई उल्लेख	7-8
राष्ट्रगीत	8

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 11 अगस्त, 2021/ 20 श्रावण, 1943 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अत्यंत दुख के साथ अपने चार पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री वीरभद्र सिंह तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के महासू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था तथा 5वीं, 7वीं और 15वीं लोक सभा में हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री वीरभद्र सिंह भारत सरकार में इस्पात तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री, पर्यटन और नागर विमानन उप मंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री वीरभद्र सिंह छह कार्यकाल के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे।

श्री वीरभद्र सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में शिमला में 8 जुलाई, 2021 को हुआ।

श्री नित्यानंद मिश्र 7वीं और 8वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने ओडिशा के बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री नित्यानंद मिश्र का निधन 93 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में 22 जुलाई, 2021 को हुआ।

प्रो. गोपालराव मायेकर 9वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे लोक लेखा समिति और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य थे।

इससे पूर्व, प्रो. मायेकर गोवा, दमन और दीव विधान सभा के सदस्य थे और वे गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री भी रहे।

प्रो. गोपालराव मायेकर का निधन 87 वर्ष की आयु में पणजी में 22 जुलाई, 2021 को हुआ।

श्री सुदर्शन राय चौधरी 9वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चौधरी पश्चिम बंगाल विधान सभा के भी सदस्य रहे और वे पश्चिम बंगाल सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे।

श्री सुदर्शन राय चौधरी का निधन 75 वर्ष की आयु में हुगली में 31 जुलाई, 2021 को हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

माननीय अध्यक्ष : ऊँ शांति: शांति: शांति: ।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

विदाई उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सत्रहवीं लोक सभा का छठा सत्र समाप्त हो रहा है। यह सत्र 19 जुलाई, 2021 को प्रारम्भ हुआ था। इस सत्र में सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक का ही कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका, जिसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22 प्रतिशत रहा। सत्र के प्रारंभ में लोक सभा के चार सदस्यों ने 19 जुलाई, 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। संविधान एक सौ सत्ताईसवां संशोधन विधेयक, 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्न काल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों के सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

माननीय मंत्रियों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में तीन वक्तव्य भी दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1,243 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल सभी माननीय साथियों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभी दलों के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित व त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की

सराहना करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्यवाही संचालित करने से संबंधित एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यगण, अब वन्दे मातरम् के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित